UPGB010054202026

न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 2145 सन् 2026

रियाजउद्दीन पुत्र श्री रहीसुद्दीन **प्रति** उ0प्र0 सरकार।

आदेश / 18.06.2026

1. आवेदक / अभियुक्त रियाजउद्दीन द्वारा मु0अ0सं0 80 सन् 2026, अंतर्गत धारा 74, 75(2) भा0न्याय0सं0, थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा ईशी गौतम ने दिनांक 24.02.2026 को समय 10:45 बजे थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि मैं ईशी गौतम, मेजर जनरल गौरव गौतम की बेटी उम्र लगभग 21 साल शिव नाडर यूनिवर्सिटी में चौथे साल की स्टूडेंट हूँ और वाजिरन्गा होस्टल रूम नंबर 409 में रहती हूँ। दिनांक 22 फरवरी, 2026 को समय करीब 09:10 बजे पी0एम0 पर मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैम्पस में चल रहे हौटेंड हाऊस इवेन्ट को देखने गयी थी। जब मैं हौंटेंड हाउस के अंदर गयी तो अंदर मास्क पहने रियाजुद्दीन, सुधांशू कुमार और अजीम ने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट और हरेसमेंट किया। उन्होंने हमारे ब्रेस्ट पकड़कर छेड़ा। मैं काफी डर गयी और उनसे जान बचाकर बाहर आ गयी, जिसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी टीम को बताया।

3. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत में यह आधार लिया गया है कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। आवेदक / अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 2 दिन की देरी से दर्ज करायी गयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। आवेदक / अभियुक्त हंटेड हाउस में काम नहीं करता। मात्र सह अभियुक्त की जान पहचान होने के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाये गये आरोप 07 वर्ष से कम सजा के प्रावधान है। आवेदक / अभियुक्त द्वारा किसी के साथ कोई छेडछाड नहीं की गयी है। आवेदक / अभियुक्त को कॉलेज के बच्चों द्वारा लडाई झगडा कर रंजिशन के आधार पर उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। आवेदक / अभियुक्त का कोइर्ठ आपराधिक इतिहास नहीं है। वह विवेचना में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी जाये।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा की लज्जा भंग करने व लैंगिक उत्पीड़न का आरोप है। आवेदक / अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बीएनएसएस में 22 फरवरी 2026 को दोस्तों के साथ कॉलेज

के फेस्ट में हाउन्डेट हाउस में जाने, वहां तीन आदमियों द्वारा उसकी ब्रेस्ट को टच करने, जिनके नाम बाद में रियाजुद्दीन, अजीम और सुधांशू पता चलने का कथन किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है।

7. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **क्रिमिनल मिस0 बेल एप्लीकेशन नंबर 33908/2025 कृष्णा उर्फ किशना बनाम उ0प्र0 राज्य** में यह प्रतिपादित किया गया है कि–"The Apex Court in Satender Kumar Antil (supra) (2021) issued direction to destrict courts to decide the bail application of the accused after filing of final police report (charge sheet), regarding all four categories of cases, including cases punishable up to 7 years and not for the bail application during investigation."

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि **व्यवस्था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा(2014)2 एस.सी.सी. 171** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि धारा–438 के अधीन न्यायालय के द्वारा शक्तियों का प्रयोग प्रकृति में असाधारण है। इसका प्रयोग केवल अपवादजनक मामलों में किया जाना है।

"जहां यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाया जा सकता है अथवा जहां यह धारित करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि किसी अपराध के अभियुक्त का अपनी अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की सम्भावना नहीं है।"

इसी क्रम में **पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2020(1) सी.सी.एस.सी 2 (एस.सी)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में यह अवधारित किया है कि अग्रिम जमानत की स्वीकृति की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय थोड़ा सावधान रहे। उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"अग्रिम जमानत केवल अपवादित मामले में ही प्रदान की जा सकती है, जहां आरोप आधारहीन हो। यह न्यायालय की असाधारण शक्ति है, जिसका उपयोग समुचित मामले में यदा–कदा की जानी चाहिए।"

अतः उपरोक्त प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में तथा प्रश्नगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को विचार में लेते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने का समुचित आधार नहीं है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त रियाजउद्दीन द्वारा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(सुनील कुमार–I)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गौतमबुद्धनगर
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 6075)

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.06.18 15:56:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court